# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–1535/2023**

प्रमिला शर्मा

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, जिला पाली।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक मुख्यालय, जिला पाली।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली।
6. प्रधानाचार्य/पीईईओ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायपुर, जिला पाली।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 09.06.2023
**आदेश की दिनांक** : 23.07.2024
**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 17.10.2017 को नियुक्त हुआ था। अपीलार्थी ने दिनांक 18.10.2017 को कार्य ग्रहण किया। अपीलार्थी का परीविक्षाकाल दिनांक 17.10.2019 को पूर्ण हो चुका हैं। अपीलार्थी का अभी भी स्थिरीकरण नहीं किया गया हैं न ही वेतन स्थिरीकरण किया गया है और न ही अपीलार्थी को वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। परीविक्षाकाल पूर्ण होने के 4 वर्ष 11 माह पश्चात भी अपीलार्थी को नियमित एवं स्थिरीकरण नहीं किया गया है, जिस कारण से अपीलार्थी को सभी लाभों से वंचित होना पड रहा है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> ''(क) अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जावें कि अपीलार्थी के परीविक्षाकाल की अवधि दिनांक 17.10.2019 को पूर्ण मानते हुए दिनांक 17.10.2019 से अपीलार्थी का स्थायीकरण किया जावें तथा 17.10.2019 से नियमित वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए समस्त एरियर का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थी को

दिलाया जावें तथा प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जावें कि दिनांक 28.03.2022 से दिनांक 17.05.2022 तक के मेडिकल अवकाश स्वीकृत कर अपीलार्थी को उक्त अवधि के वेतन का भुगतान किया जावें।

(ख) खर्चा अपील दिलाया जावे।

(ग) अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे।''

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के स्थायीकरण के लिये उसकी सेवाएं संतोषजनक होनी चाहिए, परन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है। इसलिए अपीलार्थी के स्थायीकरण पर विभागीय कार्यवाही के अंतिम निर्णय उपरान्त ही निर्णय लिया जा सकता है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का दो वर्ष का परीविक्षाकाल दिनांक 17.10.2019 को पूर्ण हो चुका है और स्थायीकरण एवं नियमितिकरण की कार्यवाही हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के स्थायीकरण के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जिसका कारण प्रत्यर्थी विभाग ने यह बताया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही विचाराधीन होना बताया है। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि किसी कार्मिक के विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही विचाराधीन हो तो उसके स्थायीकरण एवं नियमितीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस प्रकरण में हम प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना उचित पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी द्वारा परीविक्षाकाल में किये गये कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उसके स्थायीकरण एवं नियमितीकरण हेतु विचार करें और नियमानुसार उचित आदेश पारित करें।

6. प्रत्यर्थी विभाग को उपरोक्त कार्यवाही के लिये दो माह का समय प्रदान किया जाता है। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**